**दि ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड**पंजीकृत कार्यालय : ‘’ओरिएंटल हाउस’’, पो. बा. नं. 7037,

ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्‍ली-110002

**सामूहिक नागरिक सुरक्षा पालिसी**

जबकि इसकी अनुसूची में नामांकित बीमाधारक ने दि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) अनुसूची में वर्णित तिथि को प्रस्‍ताव (इसमें निहित कथनों की सत्‍यता सिद्ध करने वाला) रखा है, या रखने को प्रेरित हुआ है, जो कि इस संविदा का आधार है, तथा उसे इसमें सम्मिलित समझा जाता है, तथा इसके बाद वर्णित बीमा के लिए अनुसूची में दर्शाई गई अ‍वधि या आगे की कोई अवधि, जिसके लिए पॉलिसी के नवीकरण हेतु कम्‍पनी भुगतान स्‍वीकार कर सकती है, कम्‍पनी को प्रीमियम का भुगतान किया है ।

यह पॅालिसी बीमा की अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्‍ट अस्‍पतालीकरण व्‍यय की प्रति पूर्ति सहित व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर (मत्‍यु/स्‍थायी कुल विकलांगता, अंग(अंगों) की हानी और स्‍थायी आंशिक विकलांगता) प्रदान करती है ।

\*इस पालिसी के व्‍यक्तिगत दुर्घटना खण्‍ड के अंतर्गत किसी दावे का पात्र बनने के लिए विकलांगता औसतन 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।

(बीमा की अवधि के दौरान स्‍वीकार किए गए सभी दावों के संदर्भ में कंपनी की कुल देयता बीमा अवधि के दौरान प्रत्‍येक 12 माह की पूरी एक अवधि के लिए पालिसी की अनुसूची में निर्दिष्‍ट खण्‍ड-1 (व्‍यक्तिगत दुर्घटना) में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि तथा बीमा पॉलिसी के खण्‍ड-2 (अस्‍पतालीकरण) की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि तथा बीमा पॉलिसी के खण्‍ड-2 (अस्‍पतालीकरण) की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि से अधिक नहीं होगी )

अब यह पॉलिसी साक्षी है कि इसमें अन्‍यथा अभिव्‍यक्‍त या पष्‍ठांकित या इसमें समाहित निबंधनों, शर्तों, अपवर्जनों, परिभाषाओं के तहत कम्‍पनी बीमाकूत व्‍यक्ति को आगे इसमें उल्लिखित अनुसार भुगतान करेगी ।

**खण्‍ड-1 व्‍यक्तिगत दुर्घटना (पी.ए.)**

**परिभाषाएं**

1. **दुर्घटना-** दुर्घटना एक अचानक, अनेपक्षित और अनैच्छिक हिंसक माध्‍यम से तथा बाह्य रूप से दिखाई देने वाली घटना है।
2. **चोट** -इससे तात्‍पर्य ऐसी दुर्घटनात्‍मक शारिरिक चोट, जो पूर्णरुपेण और प्रत्‍यक्षत: बाह्रय, हिंसात्‍मक एवं द्रष्‍टव्‍य कारणों से हुई हो
3. **अगों की हानि** – इससे तात्‍पर्य एक या अधिक हाथों या पैरों का शारीरिक रुप से अलग होना या एक या अधिक हाथों या पैरों के उपयोग की स्‍थायी एवं समस्‍त हानि होना ।

4 **शारीरिक विच्‍छेद** – इसका तात्‍पर्य – कलाई से या उससे उपर से हाथ का अलग होना और/या टखने से या उसके उपर से पांव का अलग होना होगा ।

5. **स्‍थायी समग्र विकलांगता (पीटीडी)** – ऐसी शारीरिक चोट जिसके कारण बीमित व्‍यक्ति किसी रोजगार या किसी प्रकति के व्‍यवसाय के प्रयत्‍क्षत: स्‍थायी रूप से, सकल रुप से और पूर्णरुपेण काम करने में या ध्‍यान देने में पूर्ण अक्षम हो जाए ।

6. **स्‍थायी आंशिक विकलांगता (पीटीडी) –** ऐसी शारीरिक चोट जो शरीर के किसी भी भाग के स्‍थायी रुप से पृचथक होने के परिणामस्‍वरुप उस भाग की पूर्ण तथा असाध्‍य हानि का एकमात्र तथा प्रत्‍यक्ष कारण हो जिससे बीमित व्‍यक्ति औसतन 40 प्रतिशत या इससे अधिक सीमा तक सक्षम हो जाए ।

7. **चोट श्रृंखला क्‍लॉज-** इस पॉलिसी के उददेश्‍य हेतु यदि किसी दुर्घटना के कारण प्रत्‍यक्ष: या परोक्ष रुप से ब‍हुत सी शारिरिक चोटें लग जाती हैं तो इनको इकटठा समझा जाएगा तथा ऐसी शारीरिक चोटों को एक दावा माना जाएगा

**मुआवजा –**

पॉलिसी के जारी रहने के दौरान किसी भी समय यदि बाह्रय, हिंसात्‍मक एवं दृष्‍टव्‍य साधनों द्वारा तथा प्रत्‍यक्ष एवं पूर्ण रुप से दुर्घटना के फलस्‍वरुप बीमित व्‍यक्ति को शारिरिक चोट पहुँचती है तो कम्‍पनी बीमित व्‍यक्ति या उसके कानूनी निजी प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को, जैसा भी मामला हो, यहां बाद में तय की गई बीमा राशि का भुगतान करेगी अर्थात :-

1. यदि ऐसी चोट, घटित होने के 12 कैलेण्‍डर माह के भीतर, बीमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु का प्रत्‍यक्ष एवं एकमात्र कारण बनती है तो बीमा की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि का भुगतान कम्‍पनी बीमित व्‍यक्ति के समनुदेशी/वैधानिक निजी प्रतिनिधि को करेगी ।
2. यदि ऐसी चोट, घटित होने के 12 कैलेण्‍डर माह के भीतर, दोनों आंखों की ज्‍योति की समग्र एवं असाध्‍य हानि या दो हाथों या दो पांवों या एक हाथ या एव पांव की असाध्‍य एवं समग्र हानि का प्रत्‍यक्ष एवं एक मात्र कारण बनती है तो बीमे की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि का भुगतान बीमित व्‍यक्ति को किया जायेगा ।
3. यदि ऐसी चोट, घटित होने के 12 कैलेण्‍डर माह के भीतर, एक आंख की ज्‍योति की असाध्‍य एवं समग्र हानि, एक हाथ या एक पांव के उपयोग की समग्र एवं असाध्‍य हानि का प्रत्‍यक्ष एवं एकमात्र कारण है तो बीमित व्‍यक्ति को अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा ।
4. यदि ऐसी चोट, घटित होने के 12 कैलेण्‍डर माह के भीतर बीमित व्‍यक्ति को अपने आप को किसी रोजगार या किसी भी प्रकार के व्‍यवसाय को ध्‍यान देने में स्‍थायी, समग्र एवं पूर्ण रुप से विकलांग हो जाता है तो बीमा की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि का भुगतान बीमित व्‍यक्ति को किया जायेगा ।
5. यदि ऐसी चोट इसके घटित होने के 12 कैलेण्‍डर माह के भीतर, उपयोग की समग्र एवं असाध्‍य हानि अथवा शारीरिक चोट से हुई शारीरिक पर्थक्‍य की वास्‍तविक हानि जिससे बीमित व्‍यक्ति 40 प्रतिशत या औसतन उससे अधिक अशक्‍त हो जाता है जैसा कि चिकित्‍या करने वाला चिकित्‍सक मूल्‍यांकित करे, तो मुआवजे का प्रतिशत अशक्‍तों के प्रतिशत अशक्‍तों के प्रतिशत के बराबर होगा लेकिन किसी भी रुप में बीमित राशि से शतप्रतिशत अधिक नहीं होगा ।

**अपवाद (इस पालिसी के खंड 1 पर लागू)**

**कम्‍पनी निम्‍न के लिए उत्‍तरदायी नहीं होगी :-**

1. दुर्घटना से उत्‍पन्‍न विकलांगता की एक ही अवधि के सम्‍बन्‍ध में उपरोक्‍त ‘मुआवजा’ के अंतर्गत व्‍यक्‍त लाभांशों में से एक से अधिक लाभांशों के अंतर्गत ‘मुआवजा’ ।
2. उपरोक्‍त मुआवजे के अंतर्गत व्‍यक्‍त किसी एक धारा (ए), (बी), (सी) या (डी) में से किसी एक के अंतर्गत दावे के बाद अन्‍य कोई भुगतान स्‍वीकार किया जाता है तथा देय हो जाता है ।
3. बीमा की किसी एक अवधि के दौरान इस खण्‍ड के अंतर्गत एक से अधिक दावों का भुगतान जिससे कम्‍पनी की उस अवधि की देयता बीमा की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमा राशि से अधिक बढ जाए ।
4. निम्‍न के प्रत्‍यक्ष प्रमाण स्‍वरुप लगी चोट के सम्‍बन्‍ध में मुआवजे का भुगतान :(क) आत्‍महत्‍या या इसका प्रयास, जानबूझकर आत्‍महत्‍या

(ख) मादक द्रव्‍य या ड्रगस के प्रभाव के फलस्‍वरुप

5. संसार में किसी भी जगह किसी विधिवत रुप से लाइसेंस प्राप्‍त मानक विमान में एक यात्री (किराया भुगतान अथवा अन्‍यथा) के अलावा किसी विमानन कार्य में लगे होने या किसी वायुयान में चढते हुए या उतरते हुए

6. गर्भावस्‍था या शिशु-जन्‍म के परिणामस्‍वरुप मृत्‍यु या विकलांगता ।

7. यौन रोग या उन्‍माद के कारण होने वाली मृत्‍यु या अपंगता ।

8. एच.आई.वी. और/अथवा किसी एच.आई.वी. से सबंधित बीमारी जिसमें एड्स और/या कोई .आई.वी. अथवा एड्स का अन्‍य पारस्‍परिक प्रस्‍फुटन अथवा स्‍वरुप जिसके परिणामस्‍वरुप प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष रुप से हुई कोई बीमारी ।

9. आपराधिक प्रवृति से राज्‍य के कानून का किसी प्रकार का उल्‍लंघन ।

**खण्‍ड-2 किसी दुर्घटना के कारण या से उद्धभुत हुई घातक चोट से होने वाले अस्‍पतालीकरण खर्चों की प्रतिपूर्ति**एतद में समाहित या पृष्‍ठांकित या इसके साथ अन्‍यथा अभिव्‍यक्‍त नियमों, शर्तों, अपवर्जनों और परिभाषाओं के तहत कंपनी वचन देती है कि यदि अनुसूची में दर्शाई गर्इ अवधि के दौरान या नवीकरण द्वारा इस पॉलिसी की वैधता के दौरान किसी बीमित व्‍यक्ति को शारिरिक चोट लगती है जो पूर्णत: प्रत्‍यक्ष रुप से दुर्घटना के कारण आई हो, जो सामान्‍यत: चोट का कारण बनें और विधिवत रुप से योग्‍य चिकित्‍सक/चिकित्‍सा विशेषज्ञ/चिकित्‍सक (इसके बाद जिसे चिकित्‍सक कहा जाएगा) या विधिवत रुप से योग्‍य शल्‍य चिकित्‍सक (इसके बाद जिसे शल्‍य चिकित्‍सक कहा जायेगा) के परामर्श पर (1) नर्सिंग होम/अस्‍पताल, (इसके बाद जिसे अस्‍पताल कहा जाएगा) जैसा कि यहां पर परिभाषित किया गया है, में एक अन्‍त:रोगी मरीज के रुप में चिकित्‍सा/सर्जिकल इलाज हेतु अस्‍पतालीकरण व्‍यय करना आवश्‍यक हो, कम्‍पनी बीमित को उन खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी जो उचित व अनिवार्य रुप से बीमित व्‍यक्ति के लिए या उससे सम्‍बन्धित हो । सभी स्‍वीकृत दावों के संबंध में कंपनी की कुल देयता बीमा अ‍वधि के दौरान प्रत्‍येक 12 महीनों की पूरी अवधि हेतु अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट बीमित राशि से अधिक नहीं होगी ।

**परिभाषाएं**

1. **दुर्घटना-** दुर्घटना एक अचानक, अनेपक्षित और अनैच्छिक हिंसक माध्‍यम से तथा बाह्य रूप से दिखाई देने वाली घटना है।
2. **चोट**:इससे तात्‍पर्य होगा बाह्रय, हिंसात्‍मक तथा दृष्‍टव्‍य माध्‍यमों द्रारा प्रत्‍यक्ष एवं पूर्ण रुप से हुई दुर्घटनात्‍मक शारीरिक चोट ।
3. **अस्पताल / नर्सिंग होम :** अर्थात,जहाँ रोगियों की देखभाल तथा बीमारियों तथा/ अथवा चोटों पर डे-केयर उपचार किये जाते हैं, और जो चिकित्सीय संस्थापन (पंजीकरण तथा विनियम) अधिनियम, 2010 के तहत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा इसी अधिनियम के खंड 56(1) की अनुसूची के अंतर्गत अस्पताल के नाम से पंजीकृत होना अधिनियमित और विनिर्दिष्ट है अथवा निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करता है

- चौबीसों घंटे अर्हता प्राप्त नर्सिंग स्टाफ रोजगार में कार्यरत हैं;

- जिनकी जनसंख्या 10,00,000 (दस लाख ) से कम है ऐसे नगरों में रोगियों के लिए दस बिस्तरों की व्यवस्था और अन्य स्थानो पर रोगियों के लिए 15 बिस्तरों की व्यवस्था हैं।

- चौबीसों घंटे अर्हता प्राप्त वैद्यकीय चिकित्सक प्रभारी है।

- जहाँ शल्य क्रियाएँ की जा सके ऐसा, खुद का पूर्णत: सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है ।

- जहाँ रोगियों के दैनिक अभिलेख रखे जाते हों, जो बीमा कंपनियों के अधिकृत कार्मिकों को अभिगमनीय हों ।

**4. सर्जिकल ओपरेशन:** इससे तात्‍पर्य होगा पीडाओं से मु‍क्ति पाने, चोट का इलाज करने, रोग एवं विसंगतियों को सही करने के लिए मानवीय और/या आपरेटिव प्रकिया ।

**5. मेडिकल चिकित्‍सक:** इससे तात्‍पर्य ऐसे व्‍यक्ति से है जिसके पास किसी मान्‍यता प्राप्‍त मेडीकल संस्‍थान की डिग्री हो तथा देश के किसी राज्‍य से संबद्ध मेडीकल काउंसिल द्वारा पंजीकृत हों । मेडिकल चिकित्‍सक शब्‍द में फिजीशियन, सर्जन एवं विशेषज्ञ भी शामिल हैं ।

6. **योग्‍यता प्राप्‍त नर्स:** इससे तात्‍पर्य ऐसे व्‍यक्ति से है जिसके पास किसी मान्‍यता प्राप्‍त एवं सरकारी नर्सिंग काउंसिल/संस्‍थान से प्रमाण पत्र प्राप्‍त हो ।

7. **उचित एवं प्रथागत प्रभार :** अर्थात सेवाओं अथवा आपूर्तियों के लिए प्रभार, जो विशिष्ट प्रदाता के लिए प्रमाणित हो और समरूप अथवा उसी प्रकार की सेवाओं के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए, वर्तमान प्रभार से सुसंगत हो, जो अंतर्निहित बीमारी/चोट के स्वरूप को ध्यान में लेकर हों ।

8.  **चिकित्‍सा व्‍यय :-** चिकित्‍सा पर व्‍यय का तात्‍पर्य ऐसे व्‍यय से है जो एक चिकित्‍सक की सलाह पर बीमित व्‍यक्ति आवश्‍यक एवं वास्‍तव में दुर्घटना के कारण इलाज व्‍यय करता है तथा ऐसे व्‍यय उस व्‍यय से अधिक न हो जब कि यदि बीमित का बीमा न हो तथा जो एक इलाके पर स्थित अस्‍पताल या डाक्‍टर इस चिकित्‍सा के इलाज के लिए जो प्रभार लगाते हों ।

**9. अंतरंग रोगी (इन-पेशंट) देखभाल :** कोई बीमाधारक व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती है और पॉलिसी जारी रहने के दौरान आवरित घटना से उपचार के एकमात्र उद्देश्य से 24 घंटों से अधिक समय तक भर्ती रहता है ।

**अपवाद (इस पॉलिसी के खंड 2 पर लागू)**

बीमित व्‍यक्ति द्वारा निम्‍न के संबंध में उपगत खर्चों के लिए कम्‍पनी इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान के लिए उत्‍तरदायी नहीं होगी :-

1. ऐसी स्थिति जो बीमा के प्रस्‍ताव के समय विधमान थी, पूर्व विधमान स्थिति से तात्‍पर्य ऐसी चोट या इसके लक्षण से है, जो इस बीमे की प्रभावी तिथि से पूर्व विधमान थी चाहे इसकी जानकारी बीमित को हो या न हो कि ये लक्षण चोट से सम्‍बद्ध थे । पूर्व विधमान चोट से उत्‍पन्‍न किसी दोष को पूर्व विधमान स्थिति का ही भाग माना जाएगा ।
2. चीर-फाड जब तक कि जीवन परिवर्तन या टीकाकरण, ऑपरेशन, चोट के उपचार हेतु आवश्‍यक न हो । किसी प्रकार का सौन्‍दर्यात्‍मक उपचार प्‍लास्टिक सर्जरी, जब तक कि चोट के उपचार हेतु आवश्‍यक न हो ।
3. चश्‍मों और/या कांटेक्‍ट लैंस और/या सुनने वाली मशीन की लागत
4. स्‍वास्‍थ लाभ, सामान्‍य अशक्‍तता, खराब स्थिति, विश्राम चिकित्‍सा, जन्‍मजात बाह्रय रोग या दोष या असंगति, बांझपन, यौन रोग, जानबूझकर स्‍वयं पहुँचाई गई चोट तथा मादक द्रव्‍य/एल्‍कोहल का प्रयोग ।
5. मानवीय टी सैल लिम्‍कोट्रोपिक वायरस टापइ ।।। (।। TLB-।।।) लमफाडाइनोपैथी एसोसिएटिड वायरस (एलएवी) या म्‍युटोंड डैरिवाइट या वाइरेशन डेफिशेंसी सेंड्रोंम या किसी प्रकार का सेंड्रोम से सम्‍बद्ध

कोई उपचार (एमएवी) या एड्स जैसा कोई लक्षण या स्थिति ।

1. डायग्‍नोस्टिक, एक्‍सरे या लेबोरेटरी परीक्षण जब तक कि अस्‍पताल में रहने के दौरान चोट के उपचार से सम्‍बद्ध न हो ।
2. बाह्रय रोगी या प्राथमिक उपचार या ऐसे खर्चे जो अस्‍पतालीकरण से उत्‍पन्‍न न हो ।
3. विटामिन तथा टॉनिक जब तक कि वे चोट के उपचार हेतु देखभाल करने वाले चिकित्‍सक द्वारा निर्धारित न किए जाएं ।
4. प्राकृतिक चिकित्‍सा, चुम्‍बकीय/योग चिकित्‍या उपचार ।
5. दांतो का उपचार या किसी प्रकार की सर्जरी जब तक कि अस्‍पताल में दाखिल करना आवश्‍यक न हो ।
6. अस्‍पताल दाखिल होने से पूर्व तथा बाद का चिकित्‍सकीय उपचार ।
7. गर्भावस्‍था, सीजेरियन खण्‍ड सहित शिशु जन्‍म से उत्‍पन्‍न उपचार ।

**दावा प्रक्रिया एवं अपेक्षाएं (पॉलिसी के दोनों खण्‍ड-1 एवं खण्‍ड-2 पर लागू)**

1. किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिससे कि किसी के अंतर्गत दावा उत्‍पन्‍न हो सकता है पूर्ण विवरण सहित लिखित सूचना तत्‍काल ही कम्‍पनी के पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को दी जाए । बीमित व्‍यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा दावे की शीघ्र सूचना न देने पर यथोचित कारण भी दिया जाए । सूचना न देने पर यथोचित कारण भी दिया जाए । सूचना में देरी का स्‍पष्‍टीकरण किसी भी स्थिति में दुर्घटनात्‍मक चोट की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्रस्‍तुत किया जाए ।
2. बीमित व्‍यक्ति सभी मूल बिल, रसीदें तथा दस्‍तावेजों जिन पर दावा आधारित है, प्राप्‍त करेगा तथा कम्‍पनी को देगा तथा दावे की प्रक्रिया में कम्‍पनी द्वारा वांछित सहायता और/या अतिरिक्‍त जानकारी भी कम्‍पनी को देगा ।
3. उन सभी मामलों के संतोषजनक साक्ष्‍य कंपनी को प्रस्‍तुत किये जाने चाहिए जिन पर दावा आधारित है । किसी ऐसी कथित चोट, जिसमें अस्‍पताल में दाखिल होने की आवश्‍यकता है, के मामले में जब भी आवश्‍यक हो कंपनी की ओर से किसी मेडिकल चिकित्‍सक या किसी अन्‍य प्राधिकृत अधिकारी को बीमित व्‍यक्ति की जांच के लिए कहा जा सकता है ।
4. अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज मिलने के 14 दिनों के भीतर अस्‍पताल की रसीदों, बिलों, केश मीमों, एफ.आई.आर. यदि कोई हो दावा फार्म में सूचीबद्ध कागजातों सहित अन्तिम दावा कंपनी के पालिसी जारीकर्ता कार्यालय को प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए ।

**सामान्‍य शर्तें (पॉलिसी के खंड 1 और खंड 2 पर लागू)**

1. इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी नोटिस अथवा सूचना कंपनी के पॉलिसी कार्यालय के पते पर लिखित रुप से भेजी जाए । किसी ऐसी दुर्घटना से उत्‍पन्‍न दावे की स्थिति में जिसमें कोई अन्‍य व्‍यक्ति या सम्‍पत्ति जो बीमित से संबंधित न हो शामिल हो तो तुरन्‍त नजदीकी पुलिस स्‍टेशन में शिकायत दर्ज की जाए जब तक कि यह किन्‍हीं व्‍यवहारिक कारणों से बीमित के नियंत्रण से बाहर हो तो उस स्थिति में पुलिस स्‍टेशन को यथाशीघ्र एक रिपोर्ट भेजी जाए तथा उपयुक्‍त समय के अन्‍दर दुर्घटना की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए व दुर्घटना रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई न करने की स्थिति संबंधी रिपोर्ट भेजी जाए ।
2. बीमित/बीमित व्‍यक्ति इस पॉलिसी के अंतर्गत दावों को न्‍यूनतम करने के उदेश्‍य से चोट को बढने व रोकने के लिए सभी उचित सुरक्षात्‍मक उपाय करेगा/करेंगे ।
3. किसी महत्‍वपूर्ण तथ्‍य की गलत बयानी, गलत प्रस्‍तुति या उसको छिपाने के मामलें में यह पॉलिसी अमान्‍य होगी तथा कंपनी को बीमित द्वारा अदा किया गया प्रीमियम जब्‍त कर लिया जाएगा ।
4. बीमित/बीमित व्‍यक्ति कंपनी को दी गई सूचना में किसी भी महत्‍वपूर्ण तथ्‍य संबंधी वस्‍तुगत परिवर्तन की सूचना यदि तो, युक्‍तसंगत समय में यथाशीघ्र कंपनी को सूचित की जाए, उदाहरणत: पते में परिवर्तन आदि ।
5. इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम रुप से अदा किया जाए । प्रीमियम की कोई रसीद तब तक मान्‍य नहीं होगी जब तक कि कंपनी के मानक फार्म पर विधिवत रुप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्‍ताक्षर न हों । बीमित द्वारा प्रीमियम की विधिवत अदायगी पॉलिसी के निबंधनों, प्रावधानों,शर्तों तथा पृष्‍ठांकनों का अनुपालन किया जाए जहां तक कि इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी की कोई भी देयता से पूर्व शर्त होगी कि बीमित द्वारा इनसे संबंधित का अनुपालन किया गया हो । पॉलिसी के किसी भी निबंधनों, प्रावधानों, शर्तों तथा इस पॉलिसी के पृष्‍ठांकन के अंतर्गत छूट विधिमान्‍य नहीं होगी जब तक कि कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित तथा हस्‍ताक्षरित रुप में न दी गर्इ हो ।
6. इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी की किसी भी ऐसे दावे के भुगतान के लिए देयता नहीं होगी जो किसी भी धोखाधडी या किसी धोखाधडी के तरीके या साधन से ज्ञापित किया गया हो चाहे वह बीमित व्‍यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी दूसरे व्‍यक्ति द्वारा किया गया हो ।
7. यदि किसी समय इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई दावा उत्‍पन्‍न होता है और उस समय बीमित या उसके पक्ष

में अन्‍य कोई बीमा योजना भी उसे उपलब्‍ध है, वह प्रभावी है तो उस स्थिति में इस पॉलिसी के खंड 2 के अंतर्गत ऐसे सभी खर्चों के प्रति कंपनी अपने यथा इर अनुपात से अधिक भुगतान करने के लिए देय नहीं होगी ।

1. कंपनी और बीमाधारक की आपसी सहमति से पॉलिसी का नवीकरण किया जा सकता है । तथापि इसके नवीकरण किये जाने की सूचना देने के लिए कंपनी बाध्‍य नहीं होगी और कंपनी किसी भी समय बीमित को पंजीकृत डाक द्वारा बीमित के अन्तिम पते पर 30 दिन का नोटिस भेज कर इस पॉलिसी को निरस्‍त कर सकती है और ऐसी स्थि‍‍ति में कंपनी बीमा की असमाप्‍त अवधि का यथा-अनुपात प्रीमियम बीमित को वापस करेगी । तथापि कंपनी पॉलिसी के निरस्‍तीकरण की तारीख से पहले किसी भी देयता के प्रति प्रतिबद्ध होगी । बीमाधारक किसी भी समय पॉलिसी को निरस्‍त कर सकता है, उस स्थिति में कंपनी केवल लघु अवधि दर (सारिणी नीचे दी गई है) के अनुसार ही प्रीमियम वापस करने की अनुमति देगी बशर्ते कि निरस्‍त करने की तारीख तक कोई दावा न किया गया हो । प्रत्‍येक पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर कवर की समीक्षा करने का अधिकार रखती है ।

|  |  |
| --- | --- |
| जोखिम की अवधि | प्रीमियम की दर |
| 1 माह तक | वार्षिक दर का ¼ भाग |
| 3 माह तक | वार्षिक दर का ½ भाग |
| 6 माह तक | वार्षिक दर का ¾ भाग |
| 6 माह से अधिक | पूरी वार्षिक दर |

नोट करें : पॉलिसी के निरस्‍त करने पर सर्विस टैक्‍स को वापस नहीं किया जाएगा ।9. यदि इस पॉलिसी के अधीन बीमित को दी जाने वाली राशि के विषय में कोई मतभेद (देयता अन्‍यथा स्‍वीकार्य होने पर) हो तो ऐसे मतभेद को अन्‍य सभी मुद्दों से निरपेक्ष पक्षों के निर्णय हेतु भेजा जा सकता है जिसकी नियुक्ति संदर्भ भेजते समय भारत में प्रभावी उचित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई हो ।10. यदि कंपनी किसी दावे के अंतर्गत देयता स्‍वीकार नहीं करती तथा ऐसा दावा, दावे के अस्‍वीकार्य होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी न्‍यायालय में न्‍यायिक कार्रवाई का मुद्दा नहीं बनाया जाता तो ऐसा दावे का इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी उद्देश्‍य हेतु परित्‍याग माना जाएगा तथा तदरोपरांत इस पर कोई वसूली भी नहीं की जा सकती ।

11. इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई/की जाने वाली राशि पर किसी भी ब्‍याज की देयता नहीं होगी ।12. इस बीमा पॉलिसी के पक्ष स्‍पष्‍ट: स‍हमति रखते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत कोर्इ भी विवाद सक्षम न्‍यायिक क्षेत्र के भारतीय न्‍यायालयों के अधीन होगा तथा भारतीय गणतंत्र के कानून के अंतर्गत ही इस पॉलिसी की मान्‍यता, विवेचना, व्‍याख्‍या तथा प्रभाव को निश्चित किया जाएगा ।13. विदेशी भूमि पर हुई दुर्घटना के परिणामस्‍वरुप अस्‍पतालीकरण के संबंध में स्‍वीकार्य कोई भी दावे के संबंध में अस्‍पतालीकरण खर्चों की प्रतिपूर्ति दुर्घटना की तारीख पर लागू विनियम दर के अनुसार ही की जाएगी । तथा इस प्रकार की राशि भारतीय मुद्रा में ही अदा की जाएगी तथा यह बीमा पॉलिसी की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट चुनी गर्इ बीमित राशि तक ही सीमित होगी ।

**समान्‍य अपवाद (पॉलिसी के खंड 1 और 2 पर लागू)**

**कम्‍पनी की देयता निम्‍न के लिए नहीं होगी :1. युद्ध जोखिम:** युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कार्यकलाप, दुश्‍मनी या युद्ध जैसी गतिविधियां (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं, गृह-युद्ध, गदर, विद्रोह, सैनिक क्रांति, बगावत, क्रांति, सेना द्वारा शासन हथियाना, नागरी विप्‍लव, राष्‍ट्रीयकरण शासन पर अनाधिकृत कब्‍जा या इससे सम्‍बद्ध के फलस्‍वरुप शारीरिक चोट)

2. **अधिग्रहण:**  किसी के द्वारा अनाधिकृत कब्‍जा सरकारी आदेश, सार्वजनिक या स्‍थानीय प्राधिकरण के आदेश, सार्वजनिक या स्‍थानीय प्राधिकरण के आदेश के फलस्‍वरुप बीमित व्‍यक्ति को शारिरिक चोट ।3. **न्‍यूकलीय जोखिम :**निम्‍न के कारण या निम्‍न से प्रत्‍यक्ष या परोक्ष उत्‍पन्‍न बीमित व्‍यक्ति को शारीरिक चोट, उसके परिणामस्‍वरुप हानि, कानूनी देयता ।(क) आयनीकृत विकिरण या रेडियोधर्मी या किसी न्‍यूक्‍लीय इंधन या न्‍यूक्‍लीय अवशेष के न्‍यूक्‍लीय इंधन के विस्‍फोट ।(ख) रेडियोधर्मी, टाक्सिक, विस्‍फोट या न्‍यूक्‍लीय सामान के खतरनाक लक्षण ।4. किसी भी प्रकार या विवरण की परिणामी हानि

**अन्‍य लाभ :-**

**शव का वाहन तथा अंत्‍येष्टि संस्‍कार खर्चे :**बीमित के मृत शरीर को उसके निवास तक लाने में उपगत खर्चे तथा अंत्‍येष्टि-संस्‍कार खर्चों की प्रतिपूर्ति इस पॉलिसी के अंतर्गत व्‍यक्तिगत दुर्घटना खंड के अंतर्गत दुर्घटना के कारण हुई मृत्‍यु तक स्‍वीकार्य दावे । इस बीमा के व्‍यक्तिगत दुर्घटना खंड के अंतर्गत विनिर्दिष्‍ट अनुसूची के अनुसार बीमित राशि की अधिकतम 2 प्रतिशत की सीमा अथवा 2500 रुपये तक, जो भी कम हों के अंतर्गत की जाएगी ।

**प्रीमियम पुनरीक्षण धारा**

उपरोक्‍त दरें केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही मान्‍य है। कंपनी पॉलिसी के नवीकरण पर आई.आर.डी.ए के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम दरें या/अथवा पॉलिसी के नियम व शर्तों में संशोधन कर सकती है।

**नामांकन**

मैं----------------------------- एतद्द्वारा मनोनीत करता/करती हूँ कि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड की इस पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना होने से मेरी मृत्‍यु होने की स्थिति में देय राशि श्रीमान/सुश्री------------------------------------ (बीमित से संबंध) ----------------------- को भुगतान करें और आगे मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि बीमा कंपनी की रसीद अंतिम और प्रर्याप्‍त होगा।

प्रस्‍तावक/बीमित के हस्‍ताक्षर-----------------गवाहों के नाम व पता तथा हस्‍ताक्षर -------------------------------------------------------------------------------

स्‍थान---------------दिनांक-----------

**टिप्‍पणी : कानूनी विवेचना (इन्‍टरप्रिटेशन) के प्रयोजन से अंग्रेजी रुपांतर विधिमन्‍य होगा ।**